

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/जे-667 /18/

दिनांक:-

आदेश

अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) का स्वयं की बीमारी/पारिवारिक कारण के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार निम्न प्रकार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क.स.	नाम कर्मचारी	अवकाश का कारण	असाधारण अवकाश
1.	अशोक कुमार	स्वयं की बीमारी के कारण स्वयं की बीमारी के कारण	14.03.17 से 18.03.17 05 दिवस 24.04.17 से 14.05.17 21 दिवस कुल 26 दिवस
2	मुकेश कुमार	स्वयं की बीमारी के कारण	02.12.16 से 09.12.16 08 दिवस
3	प्रवीण साद	स्वयं की बीमारी के कारण दुर्घटना के कारण	20.02.17 से 27.02.17 08 दिवस 05.05.17 से 17.06.17 44 दिवस कुल 52 दिवस
4	सन्दीप कुमार जोशी	घरेलू कार्य के कारण	10.05.17 से 24.05.17 15 दिवस कुल 30 दिवस
5	विशाल गर्ग	दादी जी का स्वर्गवास स्वयं की बीमारी के कारण स्वयं की बीमारी के कारण	15.10.16 से 19.10.16 05 दिवस 20.10.16 से 02.11.16 14 दिवस 05.09.16 से 16.09.16 12 दिवस कुल 31 दिवस

अतः वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/जे-667 /18/49

दिनांक:- 16-01-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के क्रम में लेख है कि क्रम सं. 04 पर अंकित कार्मिक के सम्बन्ध में कार्मिक का दि: 16.04.17 से दिनांक 30.04.17 तक 15 दिवस का असाधारण स्वीकृति हेतु जी.ए. 45 पूर्ण कर भिजवायें एवं क्रम सं. 05 पर अंकित कार्मिक के सम्बन्ध में प्रस्ताव पत्र में कार्मिक का केवल 05 दिवस असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु उल्लेख किया गया है किन्तु 05 दिवस के अवकाश के अतिरिक्त संलग्न दस्तावेजों में कार्मिक का 14 दिवस व 12 दिवस की अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु जी.ए.45 संलग्न किया गया है,इसलिये भविष्य में जो भी प्रस्ताव निदेशालय भिजवायें उनमें संलग्नक के अनुसार ही पत्र में उल्लेख कर भिजवायें।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर।